

कहानी संग्रह ‘सयानी छोरी’ का विमोचन

बीकानेर, (कासं)। ‘सयानी छोरी’ की कहानियां समकालीन विमर्श में साम्राज्यवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने का होसला देती है। इन कहानियों की परिपक्वता बेजोड़ है। भाषा की सहजता और सरलता इन्हें सर्वग्राह्य बनाती है।

पोकरमल राजरानी गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सूर्य प्रकाशन मंदिर द्वारा प्रकाशित हिन्दी और राजस्थानी के बरिष्ठ साहित्यकार राजेन्द्र जोशी के नए हिन्दी कहानी संग्रह ‘सयानी छोरी’ के विमोचन के दौरान वक्ताओं ने यह उद्गार व्यक्त किए। राजमहल होटल में आयोजित कार्यक्रम में डॉ. उमाकांत गुप्त ने कहा कि राजेन्द्र जोशी की कहानियां आज के समय के सामने सीना ताने खड़ी हैं। यह समय की विद्रूपताओं से लड़ती है। इनकी सरल बनावट सबसे बड़ी खूबी है। इनकी कहानियां सवालिया जिंदगी के जवाब खोजने की जड़ोजहद है।

मधु आचार्य ने कहा कि राजस्थान के कहानीकार यथार्थ के धरातल पर कहानियां रचते हैं। राजेन्द्र जोशी इनमें एक हैं। उन्होंने कहा कि साहित्य में कहानी विधा से आज भी बड़ी उम्मीदें हैं। जोशी इस पर खरे उतरे हैं और समाज के कटु यथार्थ को बखूबी दर्शाया है। डॉ. मदन सैनी ने कहा कि वही साहित्य अमर होता है, जो समाज के इर्द गिर्द होता है। सयानी छोरी की कहानियां हमारे आसपास बिखरी हुई हैं। यह हमारे रीति-रिवाज, परम्पराओं का प्रतिबिम्ब है। उन्होंने कहा कि उन कहानियों में नारी के संघर्ष की बातें और उनके अस्तित्व को बनाए रखने का चित्रण है। कथाकार राजेन्द्र जोशी ने कहानियों की विषय वस्तु के बारे में बताया।

पुन्यार्थम ट्रस्ट के बच्चों को दिया नशा मुक्त जीने का संदेश

बीकानेर, (कासं)। जिला उद्योग संघ में तपस्वी मुनि कमल कुमार ने जैन अनुयायियों, पुन्यार्थम ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्कार केंद्रों में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं तथा उद्यमियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि व्यक्ति चाहे किसी का भला करने में समर्थ हो या ना हो लेकिन किसी का बुरा कभी मत करना चाहिए। साथ ही बच्चों को स्वच्छता व पर्यावरण का संदेश दिया। अगर कोई त्यौहार हो तो उसे एक दूसरे के साथ मिलकर मनाओ लेकिन उसमें यह खयाल रखें कि आपको खुशी का असर आस- पास के वातावरण व प्रदूषण को ना बिगाड़े। आप सभी को खुद के साथ-साथ परिवार तथा समाज को स्वस्थ बनाना है। अपने जीवन को और अधिक सत्विक बनाने हुए व्यसन से मुक्त रहना है। मेरा काम आप सभी को इसान बनाना है। अगर आप इसान बन गये तो आगे जाकर अपने देश का

पति के हमले में घायल पत्नी ने दम तोड़ा

बीकानेर, (कासं)। शहर के भुट्टो का बास इलाके में कत्वा चौथ के दिन हुए पति-पत्नी विवाद में घायल महिला सलमा बानो ने मंगलवार को पीबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

मृतका के परिजन अब आरोपी पति मेहताब की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मोर्चरी के बाहर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। घटना शुक्रवार शाम की है जब भुट्टो का बास मस्जिद के पीछे गली निवासी मेहताब ने किसी बात को लेकर पत्नी सलमा बानो पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था। हमले में सलमा गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि मेहताब ने हमले के बाद सरमा के मुंह में कपड़ा दूंस दिया ताकि उसकी चीख कोई सुन

बीकानेर, (कासं)। संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने मंगलवार को शहरी क्षेत्र में सड़कों की स्थिति, पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, चिकित्सा एवं यातायात व्यवस्था संधारण से जुड़ी बैठक ली।

संभागीय आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि दीपावली से पूर्व शहर की सभी सड़कें मोटेरेबल हो जाएं। सभी रोड लाइटें चालू रहें। व्यवस्ततम क्षेत्रों में

- ओवरलोड वाहनों की आवाजाही पर जताई नाराजगी, नो एंट्री में घुसे भारी वाहनों के खिलाफ होगी कार्यवाही**

यातायात व्यवस्था सुचारु हो। निगम साफ-सफाई व्यवस्था संधारण के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाएं। शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों और बाजारों में रोशनी और सजावट की जाए। उन्होंने कहा कि त्यौहारों के मद्देनजर आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को चुस्त और मुस्तैद रहने के निर्देश दिए।

संभागीय आयुक्त ने बताया कि बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा बरसाती पानी निकासी के लिए 88 करोड़ रूपए की लागत से कार्य करवाए जा रहे हैं। आगामी बरसात के मौसम से पूर्व शहर के विभिन् क्षेत्रों में बरसाती जल भराव की समस्या का स्थाई



संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा ने सड़क, पेयजल आपूर्ति, चिकित्सा और यातायात व्यवस्था की समीक्षा बैठक को संबोधित किया।

समाधान हो जायेगा। उन्होंने जैसलमेर रोड की ओर पुलिया से उतरते ही एक ट्रयूबवेल के कारण सड़क पर लगातार पानी फैलने की समस्या को गंभीरता से लिया और निर्देश दिए कि इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।

मीणा ने बताया कि बीकानेर विकास प्राधिकरण द्वारा 52 करोड़, नगर निगम द्वारा 20 करोड़ तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 20 करोड़ सहित शहरी क्षेत्र में सड़क सुदृढ़ीकरण से संबंधित 100 करोड़ रूपए से अधिक राशि के कार्य करवाए जा रहे हैं। यह कार्य तीनों विभागों द्वारा पूर्ण समन्वय के साथ करवाए जा रहे हैं, जिससे कोई कार्य ओवरलेप ना हो। उन्होंने कहा कि तीनों विभाग यह

19 तक दावे-आपत्तियां मांगे

बीकानेर, (कासं)। उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में नगर पालिका देशनोक का वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन और बाडों के पुनर्गठन का प्रारूप आवश्यक संशोधन कर पुनः जारी किया गया है। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धाराओं के तहत प्रारूप प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों तक आमजन से आपत्तियां प्राप्त की गई हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार यादव ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में प्रारूप प्रकाशन में संशोधन कर इसे 11 अक्टूबर को पुनः प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। इसके नोटिस की चस्पानगी बीकानेर उपखंड अधिकारी कार्यालय और देशनोक नगर पालिका कार्यालय में की गई है तथा आमजन से दावे और आपत्तियां 12 से 19 अक्टूबर तक प्राप्त की गई हैं। आपत्तियों का निस्तारण 25 अक्टूबर तक कर समीक्षा रिपोर्ट के साथ भिजवाने के निर्देश उपखंड अधिकारी को दिए।

आज विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी

बीकानेर, (कासं)। त्यौहारों के दौरान निर्बाध एवं सुचारु पेयजल आपूर्ति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक मंगलवार को किए जायेगी। इन तकनीकी कार्यों के कारण बुधवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जलापूर्ति बाधित रहेगी। अधिशाषी अभियंता सुभाष जंगाल ने बताया कि नयाशहर जोन, नलथरुस जोन, लक्ष्मीनाथ जोन, मुक्ता प्रसाद जोन, एमपी कालोनी जोन, रामपुरा जोन और गंगाशहर जोन में जलापूर्ति बाधित रहेगी। इन क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं से आवश्यक ससंग्रहण पूर्व में करने और जल के विवेकपूर्ण उपयोग में सहयोग का आन्धान किया गया है।

बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक एल.डी.पंवार ने चालू वित्तीय वर्ष की प्रगति रिपोर्ट से अवगत करवाते हुए बताया कि अब तक अनुसूचित जाति के 130 पीड़ितों को 112.50 लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि भुगतान की गई है।

पंवार ने बताया कि पुलिस थानों

महिला के हत्यारे को उम्र कैद की सजा

बीकानेर,(कासं)। शहर के बीछवाल थाना क्षेत्र में महिला लक्ष्मी पुरोहित की हत्या के मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए हत्यारे को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

एडीजे कोर्ट सात की न्यायाधिपति रेणु सिंगला ने फैसला सुनाते हुए युवक समीर को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सजा में आजीवन कारावास के साथ ही पचास हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तय समय में जुर्माना नहीं देने पर दस हजार रूपए अतिरिक्त देने होंगे। ये राशि लक्ष्मी की बेटियों को दी जायेगी। लक्ष्मी देवी के पति राजेश की ओर से पैरवी एडवोकेट संजय रामावत एडवोकेट, अशोक प्रजापत, योगेश रामावत, वैदप्रकाश व इरशाद अंजुम ने की। पुलिस जांच में भी लक्ष्मी पुरोहित हत्याकांड का दोषी समीर खान को माना गया।

अदालत में चली बहस के बाद समीर को उम्र कैद की सजा सुना दी है। बता दें कि साले की होली चौक निवासी राजेश कुमार पुरोहित ने 26 दिसम्बर 23 को बीछवाल थाने में समीर खान के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। राजेश का आरोप था कि समीर खान उसके यहां ड़ाइवर का काम करता था। बाद में वह पत्नी को परेशान करने लगा। इस पर उसे निकाल दिया। फिर भी वो परेशान करता था। 25 दिसम्बर की शाम सात बजे लक्ष्मी अपने घर से गणेश मंदिर जाने का बोलकर निकली थी। वापस नहीं आई तो पति राजेश ने फोन किया लेकिन फोन बंद आ रहा था। इस बीच राजेश ने अपने परिजनों के यहां भी फोन किए लेकिन वह नहीं मिली।

कूंकणा सहित 11 को मिली जमानत

- प्रदर्शन के दौरान पथराव मामले में कांग्रेस नेता रामनिवास कूंकणा सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था**
- निचली अदालत में जमानत नहीं मिली थी**

में सभी 11 आरोपियों को जमानत दी है। जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होना पड़ेगा। गौरतलब रहे कि सदर थाना प्रभारी दिगपाल सिंह ने मामला दर्ज कराया था कि रामनिवास कूंकणा, श्रीकृष्ण गोदारा और हरिराम गोदारा सहित 11 लोगों ने राजकाश में बाधा डालने का प्रयास किया।

एस. सी. प्रकरण सहायता स्वीकृति के लिए लंबित न रहें : रमेश देव

की एक.आई.आर. दर्ज होते ही तुरंत प्रकरण सहायता स्वीकृति हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को ऑनलाइन अग्रेषित किये जाये एवं थाना स्तर पर कोई प्रकरण लंबित नहीं रहे।

देव ने कहा कि इसी प्रकार न्यायालय में चालान पेश होने के तुरंत बाद चालान पेश की राहत राशि स्वीकृति हेतु प्रकरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर पीड़ितों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को ऑनलाइन अग्रेषित करें। एडीएम सिटी ने 2 माह से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का निस्तारण शीघ्रता से करने के निर्देश दिए।

अधूरे कार्य जल्द करवाने की मांग

बीकानेर, (कासं)। गुरु वाल्मीकि मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष रामनिवास पिवाल के नेतृत्व में आज एक शिष्टमंडल ने नगर परिषद आयुक्त रविन्द्र यादव को जापन सौंपा।

अध्यक्ष रामनिवास पिवाल ने आयुक्त को बताया कि वार्ड नं. 05 स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर पर स्थित खाली भूखण्ड पर भगवान वाल्मीकि सामुदायिक भवन का निर्माण वर्ष 2020–21 में करवाया गया था। जिसका केवल 55 प्रतिशत ही कार्य हुआ है जो कि अधूरा है। दरवाजे, फर्श, टायल, रेलिंग, कलर, गुमट, पत्थर, टॉयलेट, बाथरूम जैसे जरूरी निर्माण कार्य जो अभी भी नहीं हुए हैं। निर्वर्तमान पार्षद बंटी वाल्मीकि ने कहा की उक्त वार्ड कच्ची बस्ती का है तथा वार्ड नं. 05 में मजदूर, सफाई कार्य पेशे से जुड़े हुए गरीब लोग निवासरत हैं। वाल्मीकि सामुदायिक भवन का कार्य पूर्ण होने से गरीब लोग अपने विवाह, शादी, पार्टी व अन्य कार्यक्रम कर सकेगे व धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सकेगा।

सार-समाचार



बीकानेर में वरिष्ठ शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय पर सांकेतिक धरना दिया।

बीकानेर, (कासं)। शिक्षा निदेशालय बीकानेर के सामने राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा ने एक दिन का सांकेतिक धरना लगाया। जिसमें राजस्थान के कोने-कोने से पथारे हुए सभी वरिष्ठ अध्यापकों ने भाग लिया। संगठन के प्रदेश सामध्यक्ष मनोज नालिया ने बताया कि एक दिन के सांकेतिक धरने में प्रमुख मांग दो साल की बकाया व्याख्याता रियू वीवीजन डीपीसी, 3 साल की बकाया डीपीसी व नव क्रमोन्मत सभी विद्यालयों में व्याख्याता के पद सर्जन जल्दी से जल्दी करें जाएं। रेस्टा के बीकानेर जिला अध्यक्ष ललित कुमार चौधरी ने बताया कि सांकेतिक धरने के बाद में संगठन का प्रतिनिधि मंडल स्टायफ ऑफिस अशोक शर्मा व डीईओ डीपीसी सोनिया शर्मा को जापन सौंपा। दोनों अधिकारियों ने बताया कि व्याख्याता की 2 सालों की रियू वीवीजन डीपीसी का प्रस्ताव आरपीएससी भेजा हुआ है। पद सृजन की फाइल निदेशालय से सचिवालय तथा सचिवालय से अब वह फाइल वित्त विभाग के पास है। बकाया 3 साल की डीपीसी पर अधिकारियों ने बताया कि वाइस प्रिंसिपल की ऑनलाइन कार्डसर्लिंग होने के बाद में पदों का बही विवरण विभाग के पास आ जायेगा। उसके बाद बहुत जल्दी आपको बकाया 3 साल की डीपीसी का प्रस्ताव आरपीएससी भेज देंगे। प्रतिनिधि मंडल में टोडाराम गोलिया, प्रदेश महामंत्री सुरेश विश्नेई, प्रदेश संरक्षक मोहनराम गोदारा, बाड़मेर जिलाध्यक्ष बगतलाम जाखड़, विजयशंकर पुरोहित, विजय कुमार, अजय कुमार कांटीवाल, ओमप्रकाश सिद्ध, राजपाल सिंह, नारायण प्रजापत, प्रमोद कुमार, पुष्वीराज छाँपा, सुभाष विश्नेई, हेतमरा राहड़, मालाराम, बजरंग लॉयल आदि वरिष्ठ अध्यापक उपस्थित थे।

दत्तोपंत का निर्वाण दिवस मनाया



दत्तोपंत ठेंगडी के निर्वाण दिवस पर विचार गोष्ठी की गौरीशंकर व्यास ने सम्बोधित किया।

बीकानेर, (कासं)। भारतीय मजदूर संघ जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ बीकानेर कार्यालय में आज पर दत्तोपंत ठेंगडी के निर्वाण दिवस को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाया गया। ठेंगडी के जीवन पर प्रकाश डालते हुये प्रदेश उपाध्यक्ष गौरीशंकर व्यास ने बताया दत्तोपन्त ठेंगडी का जन्म 10.11.1920 को हुआ बाल्यकाल से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे। 1935 में वे वानरसेना के आर्वा तालुका के अध्यक्ष थे। जब उनका सम्पर्क डॉ. हेडगेवार से हुआ तो संध के विचार उनके मन में गहराई से बैठ गये। उनके पिता उन्हें काली बनाना चाहते थे पर दत्तोपंत एम.ए. तथा कानून की शिक्षा पूर्ण कर सन् 1941 में प्रचारक बन गये।शुरू में उन्हें केरल भेजा गया। वहां उन्होंने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का काम भी किया। केरल के बाद उन्हें बंगाल और फिर असम भी भेजा गया। ठेंगडी ने संघ के द्वितीय सर संघ चालक श्री गुरुजी के कहने पर मजदूर क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया। इसके लिए उन्होंने इंटक, शेतवरी कामगार फैडरेशन जैसे संगठनों में जाकर काम सीखा। साम्यवादी विचार के खोखलेपन को वे जानते थे। आज के विचार गोष्ठी कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष रेखा पंडित जिला कार्यकारी अध्यक्ष शिवदत्त गौड़ श्रमिक संघ वृत्त महामंत्री रामदेव सांखला, ज्ञानेंद्र सिंह, ओम रामावत, चंद्रकान्त चारू, राजेन्द्र मीणा, अशोक गौड़, संजय साहू, अनिल सिंह, गणेश दास, धर्मपाल नाथ, सुनील शर्मा, ललित स्वामी, सुनील शर्मा आदि उपस्थित सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने विचार रखे।

तपस्वियों का अभिनंदन आज से

बीकानेर, (कासं)। रांगडी चौक के सुगनजी महाराज के उपासरे में बुधवार से चातुर्मास के दौरान लूखा भोजन का आयोजिल की तपस्या करने वाले श्रावक-श्राविकाओं का अभिनंदन शुरू किया जायेगा। अभिनंदन का दौर नियमित कुछ दिन चलेगा। गणिवर्य मेहुल प्रभ सागर म.सा. ने मंगलवार को प्रवचन में कहा कि जैन धर्म में पंच परमेश्ठी (अहिंरंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय व साधु) सर्वोच्च पद व शासन या गुणों में श्रेष्ठ है। पंच परमेश्ठी संप्रसाद पत्र स्थित है। पंच परमेश्ठी हमें संसार सागर से तैरने, मोक्ष की उड़ान भरने का आन्धान करती है। पंच परमेश्ठी के आन्धान को आत्मखान करं तथा ज्ञान, दशय व चारित्र व तप का गतिकम्पन लेकर धर्म में प्रवृत्त होकर प्रगति करें। हर्दय, मति व जीवनी का आतमिक कोष को परिवर्तन कर मोक्ष मार्ग की ओर ले जाएं। उन्होंने कहा की जैन मुनि व साध्वीवृंद चातुर्मास के दौरान 84 लाख के चक्कर से बचाकर पंचम गति यानि मोक्ष की ओर जाने, काम, क्रोध, लोभ व मोह आदि कषायों को छोड़ने, पाप कर्मों से बचने व पुण्य का संचय करने के लिए अग्रित करते है।

बैठक कल

श्रीगंगानगर,

14 अक्टूबर।

राज्य सरकार

द्वारा जन भावना

के अनुरूप

पारदर्शी एवं

संवेदनशील

वातावरण में

आमजन की

परिचेदनाओं,

समस्याओं की

सुनवाई एवं

लिनित समाधान

के लिये जिला

स्तरीय

जानसुवााई की

आयोजना किया

जायेगा।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर	
क्रमांक:- नियम/2025/	सर्वजनिक आपूर्ति सुचना दिनांक: 06.10.2025
सर्व सहायण को सूचनाएं प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में कृषि से अग्रणी श्रोत्रोत्पादक कान्यगीत योजनान में 04 परमल मुल्या में 29 के किला में 15 में भूखण्ड चक 25 इनु 51 पीट का नगर विकास न्यास, श्रीगंगानर द्वारा पट्टा पत्रण 3845 दिनांक 22.04.2026 को की सर्वजन विचार पत्र की योजना विचार के उपर ने जारी किए प्रता 18 में इनुपत्र पत्रिचन पत्र नव, श्री कन्यावीरम, नियम 6.7 भई बरिच, सुप्री अमर्द, श्रीगंगानर द्वारा पंकीकृत नियमों दिनांक 03.04.2012 को ग्रन वर, स्वर्गमर के दलखान एवं सारा पत्र प्रनुत का न्यास कर्तव्यीन द्वारा पूर्व में जारी पत्र, न्यायल एवं अन्य दलखानों का सम्यक पत्र उन्ना भूखण्ड का प्रो होख पट्टा जारी करने हेतु अवेदन किए है। अतः उन्ना के अन्तर् अन्तर न्यास कर्तव्य के कानान में 17 में प्रनुत वर, अन्तर्क न्यास विचार पत्रने के उपरान्त अवेदनी 02 पत्रने अवेदनी एवं सारा पत्र के उपर पर पत्रावन्त नयनी क्षेत्र (कृषि पट्टा का 18 कृषि पत्रिचन के दिना उपरान्त की अन्तर् एवं अन्तर्) नियम 2012 के नियम 20, 25 एवं 27 की अनुपलन के कार्याही करते हुए प्रो होख पट्टा जारी कर दिया जावेगा। इस सम्यक में न्यास क्रिच भी विचार के लिए विचार्य करी होत।	
-सविद, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।	

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर

क्रमांक:- नियम/2025/

सर्वजनिक आपूर्ति सुचना दिनांक: 06.10.2025

श्रीगंगानगर, 14 अक्टूबर। राज्य सरकार द्वारा जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिचेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं लिनित समाधान के लिये जिला स्तरीय जानसुवााई की आयोजना किया जायेगा।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर

क्रमांक:- नियम/2025/

सर्वजनिक आपूर्ति सुचना दिनांक: 06.10.2025

श्रीगंगानगर, 14 अक्टूबर। राज्य सरकार द्वारा जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिचेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं लिनित समाधान के लिये जिला स्तरीय जानसुवााई की आयोजना किया जायेगा।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर

क्रमांक:- नियम/2025/

सर्वजनिक आपूर्ति सुचना दिनांक: 06.10.2025

श्रीगंगानगर, 14 अक्टूबर। राज्य सरकार द्वारा जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिचेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं लिनित समाधान के लिये जिला स्तरीय जानसुवााई की आयोजना किया जायेगा।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर

क्रमांक:- नियम/2025/

सर्वजनिक आपूर्ति सुचना दिनांक: 06.10.2025

श्रीगंगानगर, 14 अक्टूबर। राज्य सरकार द्वारा जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिचेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं लिनित समाधान के लिये जिला स्तरीय जानसुवााई की आयोजना किया जायेगा।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर

क्रमांक:- नियम/2025/

सर्वजनिक आपूर्ति सुचना दिनांक: 06.10.2025

श्रीगंगानगर, 14 अक्टूबर। राज्य सरकार द्वारा जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिचेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं लिनित समाधान के लिये जिला स्तरीय जानसुवााई की आयोजना किया जायेगा।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर

क्रमांक:- नियम/2025/

सर्वजनिक आपूर्ति सुचना दिनांक: 06.10.2025

श्रीगंगानगर, 14 अक्टूबर। राज्य सरकार द्वारा जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिचेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं लिनित समाधान के लिये जिला स्तरीय जानसुवााई की आयोजना किया जायेगा।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर

क्रमांक:- नियम/2025/

सर्वजनिक आपूर्ति सुचना दिनांक: 06.10.2025

श्रीगंगानगर, 14 अक्टूबर। राज्य सरकार द्वारा जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिचेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं लिनित समाधान के लिये जिला स्तरीय जानसुवााई की आयोजना किया जायेगा।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर

क्रमांक:- नियम/2025/

सर्वजनिक आपूर्ति सुचना दिनांक: 06.10.2025

श्रीगंगानगर, 14 अक्टूबर। राज्य सरकार द्वारा जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिचेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं लिनित समाधान के लिये जिला स्तरीय जानसुवााई की आयोजना किया जायेगा।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर

क्रमांक:- नियम/2025/

सर्वजनिक आपूर्ति सुचना दिनांक: 06.10.2025

श्रीगंगानगर, 14 अक्टूबर। राज्य सरकार द्वारा जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिचेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं लिनित समाधान के लिये जिला स्तरीय जानसुवााई की आयोजना किया जायेगा।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर

क्रमांक:- नियम/2025/

सर्वजनिक आपूर्ति सुचना दिनांक: 06.10.2025

श्रीगंगानगर, 14 अक्टूबर। राज्य सरकार द्वारा जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिचेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं लिनित समाधान के लिये जिला स्तरीय जानसुवााई की आयोजना किया जायेगा।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर

क्रमांक:- नियम/2025/

सर्वजनिक आपूर्ति सुचना दिनांक: 06.10.2025

श्रीगंगानगर, 14 अक्टूबर। राज्य सरकार द्वारा जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिचेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं लिनित समाधान के लिये जिला स्तरीय जानसुवााई की आयोजना किया जायेगा।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, बीकानेर विकास प्राधिकरण, बीकानेर

क्रमांक:- नियम/2025/

सर्वजनिक आपूर्ति सुचना दिनांक: 06.10.2025

श्रीगंगानगर, 14 अक्टूबर। राज्य सरकार द्वारा जन भावना के अनुरूप पारदर्शी एवं संवेदनशील वातावरण में आमजन की परिचेदनाओं, समस्याओं की सुनवाई एवं लिनित समाधान